


-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	1. ² लोडू खान पुत्र पार्लो गैम	³ 253	⁴ 11.00	⁵ लोडू खान पुत्र पार्लो गैम	⁶ 253	⁷ 11.00
	मुसलमान सा. स्ट. लोतदार	249	0.07	मुसलमान सा. स्ट. लोतदार	249	0.07
	शेष बरफदुर (लतानी)	315	30.06	शेष बरफदुर (लतानी)	315	30.06
		529/25	0.02		529	0.02
		<u>530</u>	2.12		<u>253</u>	
		253			530	2.12
		<u>541</u>	13.01		<u>253</u>	
		315			541	13.01
		<u>542</u>	2.08		<u>315</u>	
		315			542	2.08
					<u>315</u>	

क्रमांक : 19
 प्रतिलिपि पालनार्थ :-
 1. तहसीलदार डीडवाना।


 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना
 दिनांक : 3/1/20

क्रमांक :
 प्रतिलिपि पालनार्थ :-
 1. पटवारी हल्का को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना
 दिनांक :

तहसीलदार डीडवाना

